भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2560
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006

†2560. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के खंड (ख) को समामेलित करने का औचित्य क्या है;
(ख) उत्कृष्टता संस्थानों, शोध संस्थानों, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों को संकाय में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण लागू करने से बाहर रखने का क्या कारण है; और
(ग) देश के सभी आईआईटी में संकाय का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का श्रेणीवार और आईआईटीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश में आरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के प्रावधान के लिए दिनांक 4 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया था।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक विषयों के प्रावधान के लिए दिनांक 09 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया है।

उत्कृष्टता संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों, जिनमें वे संस्थान भी शामिल हैं जो नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम संचालित नहीं करते हैं, को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है।

(ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने मिशन मोड भर्ती अभियान के तहत सितंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के तहत 615 से अधिक संकाय रिक्तियों को भरा है।

*****